P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-8* November- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला सशक्तिकरण : सामाजिक सन्दर्भ

Women Empowerment : Social Centext

Paper Submission: 05/11/2020, Date of Acceptance: 24/11/2020, Date of Publication: 25/11/2020

सुनीता पाण्डेय
सहआचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

महिला समाज का एक बहुत बड़ा भाग है, जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लिये हुये है। समाज के हर काल में महिला की स्थिति व भूमिका विचार विमर्श का मुद्दा रही हैं। समाज के दार्शनिकों एवं चिन्तकों द्वारा इस सन्दर्भ में सकारात्मक व नकारात्मक विचार व्यक्त किये जाते रहे है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ सामान्यतया राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण से लिया जाता है जबकि सामाजिक सशक्तिकरण जो राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है, गौण रहता है। भारतीय सामाजिक संरचना में सैद्धान्तिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय साहित्य में भी 'नारी सर्वत्र पूज्यते' का दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। यद्यपि हिन्दू समाज में महिला की सहभागिता बिना धार्मिक कार्य अपूर्ण माने गये हैं परन्तु भावनात्मक रूप से व्यवहार में महिला को पुरूष के बराबर समानता का दर्जा समाज मे प्राप्त नहीं हुआ। हिन्दू समाज की संरचना में उसे अनेक वर्जनाओं का शिकार प्राचीन काल से होना पड़ रहा है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरूष की मनः स्थिति या मानसिकता महिला की स्वतंत्रता एवं समानता की पक्षधर नहीं रही है। समाज में आज भी बेटे व बेटियों में भेदभाव किया जाता है। बेटे के जन्म पर उत्सव मनाये जाते है जबकि बेटियों को जन्म से पूर्व कोख में ही मार दिया जा रहा है। वर्तमान समय में भी समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्या वध, बहु पत्नी विवाह, अशिक्षा, विधवा जीवन व दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां विद्यमान है। प्रतिदिन न जाने कितनी ही महिला चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, बलात्कार की शिकार बन रही है। जिस देश में महिलायें शक्ति, लज्जा, संस्कृति एवं वैभव का प्रतीक थी उसी देश में महिलाओं की अस्मिता खतरे में पड़ गई।

महिलाओं के प्रति कुण्ठित मानसिकता के कारण सरकार द्वारा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का परिणाम अत्यन्त धीमा रहा है। अतः सम्पूर्ण महिला सशक्तिकरण के लिये इस सामाजिक सोच में बदलाव अति आवश्यक है। इस दिशा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। इस हेतु शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन लागू करने होंगे जो पुरूष मानसिकता में महिलाओं की समानता व स्वतन्त्रता के लिये सकारात्मक सोच उत्पन्न करें एवं समाज निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका में सहभागी बने।

Women are a very big part of the society, which has played its important role. The status and role of women has been a matter of discussion in every period of society. Positive and negative views have been expressed in this context by philosophers and thinkers of the society.

Women's empowerment is generally taken to mean political and economic empowerment while social empowerment which is the basis of political and economic empowerment remains secondary. In the Indian social structure, the philosophy of 'Nari Sarvatya Pujyate' has also been expressed in ancient Indian literature. Although the participation of women in Hindu society is considered incomplete without religious work, but in emotionally behaving women did not get equal status as men in the society. In the structure of Hindu society, he has been a victim of many taboo since ancient times. In the patriarchal society, the man's state of mind or mindset is not in favor of women's freedom and equality. In society even today, discrimination is done between sons and daughters. Festivities are celebrated on the birth of a son, while daughters are being killed in the womb before birth. Even today, social evils like child marriage, purdah, girl slaughter, multi-wife marriage, illiteracy, widow life and dowry system exist in the society. No matter how many women, irrespective of their age, are becoming victims of rape every day. In a country where women were a symbol of power, shame, culture and splendor, the identity of women in that country was endangered.

Due to frustrated mentality towards women, the result of the efforts of women empowerment in the economic and political field by the government has been very slow. Therefore, a change in this social thinking is absolutely necessary for the empowerment of women. Education can prove to be an important tool in this direction. For this, such changes will have to be implemented in the education system, which will generate positive thinking for equality and freedom of women in the male mentality and become a part of the important role of women in building society.

मुख्य शब्द : महिला, सशक्तिकरण, कुण्ठित मानसिकता, अत्याचार, सहभागिता, सामाजिक परिदृश्य, उत्पीड़न, स्वतन्त्रता, जागरूकता, सकारात्मक सोच, सामाजिक कुरीतियॉ।

Women, Empowerment, Bad mindset, Torture, Participation, Social Landscope, Harassment, Freedom, Awareness, Positive Thinking, Social Evils

प्रस्तावना

महिला समाज का लगभग आधा हिस्सा है। महिलाओं के बिना घर परिवार, समाज या देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ धार्मिक कार्यो को सम्पादित करना महिलाओं के बिना सम्भव नहीं है। महिला परिवार व समाज की धुरी है। बच्चों के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला माता है। नेपोलियन बोनापोर्ट ने भी कहा है कि ''बच्चे का भाग्य माँ ही बनाती है।''

परिवार के दो स्तम्भ होते हैं पुरूष एवं महिला। परिवार की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व महिला के कन्धों पर है। पुरूष ने स्वयं ही घर के बाहरी कार्यक्षेत्र को सम्भाल लिया है एवं महिला घर के सभी कार्य सम्पादित करती है। पुरूष एवं महिला दोनों एक दूसरे के पूरक है, परन्तु महिला के बिना दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रारम्भ में महिला पुरूष के कार्यों में कोई भेद नहीं था। ज्यों–ज्यों मानव विकास की ओर बढ़ता गया, उसके कार्यों में विभाजन भी होता गया, इन कार्यों में विशिष्टीकरण आया तथा महिला पुरूष में श्रम विभाजन हुआ। प्रारम्भ में समाज मातृसत्तात्मक होने से सम्पत्ति पर, परिवार के नाम पर, वंश गोत्र इत्यादि पर महिला का अधिकार होता था। जिससे समाज में उसकी स्थिति उच्च हुआ करती थी। धीरे–धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और परिवार पितृसत्तात्मक हुए, पुरूष ने हर क्षेत्र मे अपना आधिपत्य स्थापित किया और महिला की स्थिति पुरूष की तुलना में कमजोर होने लगी। उत्पादकता का आश्रय लेकर पुरूष ने महिला को घर की वस्तु बनाकर या परिवार की चार दीवारी तक सीमित कर दिया और स्वयं उसका मालिक बन बैठा।

21वीं सदी में कदम रखने वाले भारतीय समाज में महिला को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जो अपेक्षित था। भारत के साथ–साथ पश्चिमी जगत में भी महिला की स्थिति निम्न तथा ठीक नहीं है। नारी के देह शोषण का विचार दोनों ही समाजों में प्रभावी रहा है। लम्बे समय पश्चात समाज मे प्रचलित इन विकृतियों के विरूद्ध असंतोष पैदा हुआ, जो आगे चलकर विश्व में नारी मुक्ति आन्दोलनों के रूप में विश्व के सम्मुख उपस्थित हुआ। महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने ''मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र'' स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र की स्वीकृति के पश्चात संसार भर की महिलाओं में नई आशा का संचार हुआ और वे अपनी भेदभावहीन वैधनिक स्थिति को सामाजिक स्थिति में बदलने के लिये कटिबद्ध हो गई।

भारत में महिलाशोषण व अत्याचार के विरूद्ध जागरण व आन्दोलनों का प्रारम्भ स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हुआ। इस समय राजा राममोहनराय ने स्त्री की दशा में सुधार के लिये सामाजिक विकृतियों की तरफ सभी का ध्यान आकृष्ट किया। स्वतत्रता आन्दोलन में अनेक महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये। महिला मुक्ति आन्दोलन में सिस्टर निवेदिता बेगम भोपाल, लेडी अब्दुल कादिर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, सुषमासेन, लक्ष्मीबाई रजवाड़े, राजकुमारी अमृत कौर इत्यादि महिलाओं ने महिला जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।आजादी के पश्चात् देश में शिक्षा का विस्तार हुआ। महिलाओं ने अपनी दुर्दशाको दूर कर समाज में अपनी स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयास किया। विभिन्न महिला संगठनों की स्थापना की गई जिन्होने महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाकर तथा समाज में समानता का दर्जा दिलाने के प्रयास किये जो वर्तमान में भी अनवरत जारी है भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ ही भारतीय महिलाओं को वे सभी वैधानिक अधिकार संविधान से प्राप्त हुये जिनके लिये पश्चिमी समाज ने एक लम्बा संघर्ष किया। आज महिलाओं को कानून के माध्यम से हर क्षेत्र में योग्यता के आधार पर समानपद व स्थिति अर्जित करने का अधिकार है तथा इसे समाज का एक कमजोर और शोषित वर्ग मानकर अनेक क्षेत्रो मे आरक्षण भी प्रदान किया गया है। देश की विधायिका में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की मांग चरमोत्कर्ष पर है।

भारत में महिला राष्ट्रपति पद तक नियुक्त व निर्वाचित हो चुकी है तथा सरकारी अर्द्धसकारी व निजी क्षेत्र में उच्च पदों पर नियुक्त चयनित व नामित हो चुकी है। महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। 21वीं सदी में प्रगति करते भारत ने कई उपलिब्धयां हासिल की है। सूचना क्रान्ति में कई मील के पत्थर स्थापित किये है लेकिन दूसरी और भारतीय समाज आज भी कई रूढ़िवादी मान्यताओं व अंधविश्वासों की गिरफ्त मेंधसा हुआ है। महिलाओं का दहेज के लिये उत्पीड़न तथा कन्या भ्रूण हत्याये आज नये रूप में महिला अत्याचार व शोषण को जन्म दे रही है। इसके अतिरिक्त अनेक रूपों में शारीरिक व मानसिकरूप से महिलाओं का उत्पीड़न समाज में जारी है। आज महिलाओं को पुरूषों के समान वैधानिक अधिकार तो प्राप्त है परन्तु सामाजिक दायरे में उनका भलीभांति क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है कुछ सुविधा सम्पन्न महिलाओं को छोड़कर आम महिला आज भी सामाजिक भेदभाव अन्याय की शिकार है।

यद्यपि भारत में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाकर समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रही है परन्तु कुल मिलाकर इन महिलाओं की सख्या बहुत कम है इस दिशा में अभी बहुत प्रयास करने जरूरी है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले तीन दशकों में सरकारी कार्यक्रमों एवम् योजनाओं में महिला कल्याण 80

के दशक में महिला विकास 90 के दशक मेंमहिला समानता जैसे शब्द प्रचलित रहे। 90 के दशक के अन्त में महिला सशक्तीकरण एवम् महिला अधिकारिक जैसी अवधारणाका प्रचलन हुआ।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता न केवल भारत में महसूस की जा रही है अपितु सम्पूर्ण विश्व में लगातार इस दिशा में प्रयास किये जाते रहे है। सम्पूर्ण विश्व में 1975 के वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप मनाया गया आज का युग महिला सशक्तिकरण का युग है परन्तु अभी महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को तीव्र करना होगा और एक बहुआयामी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ते हुये वर्तमान में उन्हें वैश्विक फलक पर उतारना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन।
2. महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता का अध्ययन।
3. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिला कल्याण एवं विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
4. स्वयं के जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतन्त्रता के बारे में अध्ययन।
5. शिक्षा एवं कैरियर निर्माण के प्रति महिलाओं के बढ़ते रूझान का अध्ययन।
6. सामाजिक जीवन में महिलाओं के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों एवं समस्याओं का अध्ययन।

साहित्यावलोकन

1. महिला और मानवाधिकार – एम.ए.अंसारी, ज्योति प्रकाशन, 187 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर–302015

   उक्त पुस्तक मे नारी चेतना व नारी मुक्ति आन्दोलन, महिला अधिकार व आर्थिक विकास, महिला एवं द्वारिद्र, भारत में आर्थिक विकास कार्यक्रम, महिला एवं विधिक अधिकार, नारी उत्पीड़न त्रासदी एवं विधि विधान, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं राजनीतिक अधिकार तथा मानवाधिकार और नारी सन्दर्भ चेतना व दृष्टिकोण इत्यादि विषयों पर बड़ी गहनता से प्रकाश डाला है।
2. द इंडियन वीमेन फ्रोम पर्दा टू मॉडर्निटी (1976) – बी.आरकृनन्दा, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली
   उक्त पुस्तक में लेखक ने महिलाओं की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन के आधारों की चर्चा करते हुये बताया है कि ब्रिटिश भारत में समाज सुधारकों के दबाव से निर्मित्त विधानो एवं आजादी के पश्चात् स्वतन्त्र भारत के संविधान में महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलवाने एवं उन्हें सशक्त करने के लिये सम्मिलित किये गये नवीन विधानों, शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, विदेशी संस्कृतियों से अन्तर्क्रिया आदि के परिणामस्वरूप महिलाओ की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
3. महिला सशक्तिकरण (2006)– प्रो. मानचन्द खण्डेला, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस जयपुर–302015
   प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने महिला सशक्तिकरण की वास्तविक अवधारणा और राजनीतिक सामाजिक एव आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के तहत आम भारतीय महिला की स्थिति, असहाय, उपेक्षित, निरक्षर एवं पीड़ित महिलाओं की मजबूरियों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यरत महिला आयोग के क्रियाकलापों एवं विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित समंको को बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है।
4. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2007)– डॉ. राधेश्याम द्विवेदी सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. 28, मालवीय नगर, रोशनपुरा भोपाल–462003
   प्रस्तुत पुस्तक में लेखक यही कहता है कि स्त्री पुरूष के लिये दोयम दर्जे की नागरिक है, यह समझना घोर अन्याय है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून की विशेषता यह है कि इसमें वाईफ के साथ हजबैण्ड और फिमेल के साथ मेल पार्टनर की अभिव्यक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि जो विवाह की प्रकृति में स्त्री पुरूष कके साथ साझी गृहस्थी में जीवनयापन कर रही है, उसे भी मेल पार्टनर द्वारा या उसके दुष्प्रेरण पर अन्य द्वारा उसकी या उसके बच्चों की मारपीट घरेलू हिंसा की जाने पर वह स्त्री भी घरेलू हिंसा के संरक्षण की हकदार है।
5. मानवाधिकार और महिलाएं मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 462003, डॉ. ममता चन्द्रशेखर
   लेखिका ने इस पुस्तक में मानवाधिकार सम्बन्धी विशेष जानकारी 7 अध्यायो के माध्यम से प्रदान की है।
6. तहखानों में बंद अक्स, कल्याणी शिक्षा परिषद 2010, चित्रा मुदुला :– इस पुस्तक में लेखिका युवतियों को भयमुक्त करते हुये सहज जीवन की राह दिखाती है।
7. पियरी का सपना, मैत्रेयी पुष्पा, सामयिक प्रकाशन जनवरी 2010, इस पुस्तक मे लेखिका ने सामाजिक बुराइयों का अवलोकन किया है।

प्राकल्पनायें :–

1. महिलाओं में परिवार मे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढी है।
2. सशक्तिकरण प्रक्रिया ने परिवार व विवाह संस्था के स्वरूप को प्रभावित किया है।
3. वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की स्थिति को नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया है
4. सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु गम्भीर प्रयास किये गये है।
5. आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने पर महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान में वृद्धि अनुभव की है।
6. महिलाओं में अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर जागरूकता बढ़ी है।

अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन मे विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाते हुये पूर्व में उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण एवं द्वितीयक समंकों का सहारा लिया गया है।

सशक्तिकरण

सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितिओं पर निर्भर करती है जिसके लिये समाज में आवश्यक कानूनों सुरक्षात्मक प्रावधान और उनके भलीभांति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है।

यू.एन.डी.पी.(यूनाइटेट नेषनल डवलपमेन्ट प्रोग्राम) द्वारा 1995 में मानव विकास पर जारी रिपोर्ट में सशक्तिकरण को सहभागिता के सन्दर्भ में विश्लेषित किया गया हैं जहां विकास जनता के द्वारा हो अर्थात् जनता विकास में सहभागी बने जनता के लिये विकास कोई दूसरी संस्था या एजेन्सी नहीं करें। इस प्रकार सशक्तिकरण आर्थिक वृद्धि एवम् संर्वागीण विकास में सहभागिता के स्तर को चुनने की सामर्थ्य के सम्बन्ध में है।

इस प्रकार सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिससे बाधाओं जो कि समान सहभागिता को रोकती है, को न्यूनतम किया जाये ताकि समानता की तरफ अग्रसर हो।

जब हम शक्ति अथवा क्षमता के प्राधिकारी सन्दर्भ में महिलाओं को विशेष अधिकार तथा कर्तव्य बोध कराते है उन्हें समाज या समुदाय से जुड़े मुदों पर निर्णय लेने अथवा नीति लागू करने की शक्ति प्रदान की जाती है तो यह सम्पर्णू प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण की परिधि ले लेगी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फार ह्यूमन राइटस ने महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया है यह औरतों को शक्ति क्षमता और काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। इसमें अक्सर सशक्तिकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे मे विश्वास का निर्माण शामिल है। महिला सशक्तिकरण के मापन में उनकी शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति, देशातन की स्थिति, सता में पुरूषों के बराबर हक, निर्णय लेने के अधिकार इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है गांधीजी ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्र की भाग्य विधात्री नारी यद्यपि कोमल मन और कोमल तन है पर उसमे पुरूष की अपेक्षा एक ऐसा हृदय है जहां परमजबूत और उदान्त विचारों का वास है वह स्नेह दया और क्षमा की साक्षात् प्रतिमूर्ति है।

भारत में महिला सशक्तिकरण

आज भारत में महिलायें शिक्षा राजनीति, संस्कृति मीडिया, कला व सेवा क्षेत्रो में भागीदारी कर रही है।

भारत में महिला आन्दोलन ने 1970 के दशक के अन्त में जोर पकड़ा। मथुरा बलात्कार मामला राष्ट्रीय स्तर के सबसे पहले मामलों में से था जिसने महिला समूहो को एक जुट किया। कई महिला समूहों ने आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश हरियाणा, उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवम् अन्य राज्यों में शराब विरोधी अभियान प्रारम्भ किये। भारत में मुस्लिम महिलाओं का शोषण व समाज में उनकी कमजोर स्थिति अभी भी बनी हुयी है। इसका प्रमुख कारण कुरान व शरीयता में मुस्लिम समाज व्यवस्था के लिये वर्णित प्रावधानों व उपदेशो का इसी समाज के धर्मगुरूओं व कट्टरपंथियों के द्वारा पुरूष के पक्ष में निर्वचन इसके लिये उतरदायी एवं प्रमुख कारक माना जाता है।

1990 के दशक में विदेशी दानदाता एजेंसियों द्वारा अनुदान के फलस्वरूप महिलाओं पर केन्द्रित नयी गैर सरकारी संस्थाए बनाना सम्भव हुआ। भारत सरकार ने 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति पारित की गई जिसका उदेश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है ताकि वे राजनीति समाज और राष्ट्र में शोषित व उत्पीड़ित न रहे।

सामाजिक सन्दर्भ

महिला सशक्तिकरण का अर्थ सामान्यतया राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण से लिया जाता है जबकि सामाजिक सशक्तिकरण राजनीतिक व आर्थिकसशक्तिकरण का आधार है गौण रहता है। भारतीय सामाजिक संरचना में प्राचीन काल से ही यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से प्राचीन साहित्य में हर सामाजिक, धार्मिक कार्य, रीतिरिवाज को सम्पन्न करवाने में महिला का सहभागी होना अनिवार्य माना गया है। हिन्दू समाज की संरचना मे महिला को अनेक वर्जनाओं का शिकार प्राचीनकाल से होना पड़ रहा है।

सामाजिक व्यवस्था में लम्बे समय तक विधवा विवाह को मान्यता नहीं मिली किन्तु विधुर विवाह को मान्यता प्राप्त है अतः भारतीय हिन्दू समाज की मानसिकता या मनः स्थिति स्त्री की समानता व स्वतंत्रता की पक्षधर नहीं रही है इस मानसिकता के कारण सरकार द्वारा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का परिणाम धीमा रहा है अतः सम्पूर्ण महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का परिणाम धीमा रहा है अतः सम्पूर्ण महिला सशक्तिकरण के लिये इस इस सामाजिक सोच में बदलाव अति आवश्यक है। इस बदलाव के वाहक के रूप में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। शिक्षा समाज की सोच में बदलाव ला सकती है। इसके लिये शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के बदलाव लागू करने होगे जो पुरूष मानसिकता में महिलाओं की समानता व स्वतंत्रता के लिये सकारात्मक सोच प्रारम्भ करे तथा महिलाओं में बिना कुंठा व अहम् के अपने आपको समाज निर्माण व विकास में सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत करे।

1. प्राचीन काल
2. मध्यकाल
3. आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण

प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण

प्राचीन काल विशेषकार वैदिक युग हिन्दू समाज एवम् महिला जाति के लिये एक स्वर्णिम युग था। वैदिक काल में जिस सभ्यता व संस्कृति का सूत्रपात हुआ था, वह आज कई युग बीत जाने के बाद भी मौजूद है। परिवार के संचालन में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां नहीं थी। महिलाओं के शील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान कर्तव्य माना जाता

है। उनका अपमान करना उस समय अधम माना जाता था। ऋग्वेद में पुत्र प्राप्ति की कामना का बार–बार उल्लेख मिलता है परन्तु परिवार में पुत्री के जन्म को बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि याज्ञिक अनुष्ठान पत्नी के बिना पूर्ण नहीं किये जा सकते थे। ऋग्वेद (10–15–3) के अनुसार एक पत्नी प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र शत्रुओं का नाश करने वाले हो और मेरी पुत्री तेजस्विनी हो।

स्त्रियों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिये भी समाज में समुचित व्यवस्था थी पति द्वारा पत्नी के त्याग को अच्छा नहीं माना जाता था और इसके लिये कठोर प्रायश्चित करना पड़ता था। वैदिक काल में महिलाओं की सम्पति पर अधिकार के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु सन्तान न होने की स्थिति में पति के पश्चात् सम्पति पर पत्नी का ही अधिकार माना जाता था।ऋग्वेद काल एवम् उपनिषद काल में महिला शिक्षा पूर्ण विकास पर थी। शिक्षा के परिणामस्वरूप ही महिलाएं यज्ञ आदि धार्मिक कर्मकाण्डों में पति का हाथ बटाया करती थी। कई महिलाओं ने वेद मंत्रों की रचना की थी जिनमें लोमशा, लोपाम्रुद्रा विश्वतारा, सिकता, कुलामपुत्री शची, अंभृणपुत्री वाक्, सूर्या, इन्द्राणी, अपाला कक्षावानपुत्रीधूशा, असंगमार्या, आंगिराकन्या, शाश्वती, रोमशा इत्यादि नाम उल्लेखनीय शतपथ ब्राह्मण (14–6–6–1) के अनुसार गार्गी ने राजा जनक की सभा मे महर्षि याज्ञवलक्य से शास्त्रार्थ भी किया था। याज्ञवलक्य गार्गी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उतर नहीं दे पाये और यह कहकर चुप हो गये कि गार्गी अब अधिकन पूछो.....। याज्ञवलक्य की एक पत्नी मैत्रेयी ने उनके परिव्राजक होने की इच्छा पर उनसे धन की अपेक्षा ज्ञान मांगा था। वेदपाठ व अनुष्ठानों के अलावा महिलायें अध्यापन कार्य भी करती थी।

वैदिक काल को यदि महिलाओं के लिये स्वर्णिम काल कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वह काल था जब महिला, पुरूष की अनुचरी नहीं अपितु सहसरी थी। स्मृति काल में नारी की गरिमा व ओजपूर्ण स्थान में कभी आती गई। इस काल में महिलाये मात्र पुरूष की अनुगामिनी व छाया बनकर रह गई। रामायण व महाभारत का काल भारतीय समाज के मूल्यों को चुनौती मिलने वाला काल है। रामायण कालीन समाज में सामाजिक मूल्यों को चुनौती बाहरी तत्वो से मिल रही थी तथा महाभारत कालीन समाज में यह चुनौती आन्तरिक थी इससे भारतीय सामाजिक मूल्यों में पतन व हास प्रारम्भ हुआ। इस युग में सबसे ज्यादा स्त्रीगत मूल्यों व आदर्शों पर आक्रमण हुआ। तत्कालीन समय में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी।

द्वापर युग वह समय था जब महिला को पुरूष की बराबरी का दर्जा मिला। श्रीकृष्ण ने राधा व विभिन्न गोपियों के साथ मित्रवत् व्यवहारकिया। महाभारत काल में महिलायें द्रोपदी के समान एक वस्तु बन कर रह गई जिसे जुए में दाव पर लगा दिया गया था तथा उसे भरी सभा में निर्लज्ज किया गया। महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। गान्धारी ने पतिका साथ निभाने के लिये अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी।

बौद्धकालमें महात्मा बुद्धने महिलाओं के नैतिक व सामाजिक उत्थान पर जोर दिया। मौर्यकालमें चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री ने महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। बौद्धोतर काल में महिलाओं के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण विकसित होने लगा। उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था। युद्ध में बंदी बनाई गई महिलाओं के साथ लूट की सम्पति की तरह व्यवहार किया जाता था।

मध्यकालमें महिला सशक्तिकरण

मध्यकाल में भी महिलाओं को सामान्यतः सामाजिक एवम् मानसिक दृष्टि से पुरूष से निम्न स्तरीय माना जाता था। महिलाओं का जीवन पूर्ण रूप से पुरूषों पर आश्रित था। मध्यकाल में भारतीय हिन्दू समाज में कन्याओं के रजस्वला होने से पूर्व ही उनका विवाह कर दिया जाता था। समाज में बाल विवाह एवम् बेमेल विवाह की कुप्रथाओं ने जन्म लिया।

मध्यकाल में इन कुरीतियों के आ जाने से महिलाओं की प्रगति बाधित हो गई। प्राचीनकाल की अपेक्षा मध्यकाल में महिलाओं की दशा में गिरावट आती गई। समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा में निरन्तर कमी होने लगी। इस्लाम के बढ़ते प्रभाव एवम् दुराचारी शासको के कारण बाल विवाह एवम् पर्दाप्रथा जैसी कुरीति समाज में व्याप्त हो गई। सामाजिक असुरक्षा के कारण कुलीन हिन्दू महिलाओं ने घर से निकलना बन्द कर दिया। विधवा महिलाओं को आजीवन विकास के साधानों से वंचित रहकर जीना पड़ता था।

मुस्लिम समाज में एक साथ चार विवाह करने की छूट थी। युद्ध में पति की मृत्यु के पश्चात् चार महिलाओं को कष्टपूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मुस्लिम युग का प्रारम्भ दिल्ली सल्तनत माना जाता है। दिल्ली सल्तनत् की बजाय मुगल काल में महिलाओं की स्थिति और भी शोचनीय हो गई थी। मुगल बादशाहों, सरदारों एवम् धनी व्यक्तियों की विलासिता की बढती प्रवृति ने महिला को केवल विलासिता पूर्तिका साधन बना दिया था। शराब व शबाब दोनों विलासिता पूर्तिका साधन बन गये थे। मुस्लिम एवम् हिन्दू दोनों समाजों में ही ऐसी कुरीतियों का आगमन हो गया था। मुगलकालीन समाज में हिन्दू महिला की दशा अत्यन्त दयनीय हो गई थी। मध्यकाल वास्तव में महिलाओं के व्यक्तित्व के दमन का समय था। जब उनके विकास एवम् स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबन्धित थे।

मुस्लिम समाज में चॉद बीबी, जिनतुम्निसा, गुलबदन, सलिमा, सुल्ताना, नूरजहॉ, जहॉआरा तथा जेबून्निसा के नाम मुगलकाल में उनकी शैक्षणिक उपलब्धि एवम् राजनैतिक दूरदर्शिता के लिये विख्यात थे वही हिन्दू समाज में गोडवाना की रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक व योग्य व सैनिक साबित हुई। रानी कर्मवती, रूपमती, मीराबाई, ताराबाई, रानी चेन्नमा, अहिल्याबाई ने भी महिला जगत में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया था। फिर भी कुल मिलाकर महिला समाज शोषण का शिकार बना रहा एवम् धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों के कारण बड़ी संख्या में महिलाए शिक्षा से वंचित रही।

आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण

मध्यकाल में महिलाओं की स्वतंत्रता एवम् विकास पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे, वे आधुनिक काल में भी कई वर्षो तक जारी रहे। मध्यकाल में अंग्रेजशासकों के भारत में आने से हमारे देश में वैचारिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ और सामाजिक सुधार की ओर ध्यान दिया जाने लगा परन्तु महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु प्रयास 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से ही प्रारम्भ किये गये थे।

आधुनिक काल में भी हमारे देश में बालविवाह, पर्दा प्रथा, कन्यावध बहूपत्नी–विवाह, अशिक्षा, विधवा जीवन, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां व्याप्त है। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न अमानवीय प्रथाओं एवम् रीति रिवाजों व शोषण के खिलाफ आधुनिक काल में महिलाओं ने आवाज बुलन्द की। आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण को हम दो भागों में बॉटकर अध्ययन करेगें।

(a) स्वतंत्रता पूर्व महिला सशक्तिकरण

(b) स्वतंत्रता पश्चात् महिला सशाक्तिकरण

स्वतंत्रतापूर्व महिला सशक्तिकरण

भारत देश में मुगल शासकों के आगमन के साथ ही महिलाओं का जीवन नरकीय यातनापूर्ण बन गया। जिस देश में महिलायें शक्ति लज्जा, संस्कृति एवम् वैभव का प्रतीक थी उसी देश में महिलाओं की अस्मिता खतरे में पड़ गई। मुगल सता की समाप्ति के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में जड़े जमा ली। हालांकि अंग्रेजों ने महिला स्वतंत्रता को आन्दोलित किया परन्तु इस आन्दोलन के सभी प्रणेता भारतीय समाज सुधारक ही रहे है, समाज सुधारकों एवम् शिक्षित व्यक्तियों ने महिलाओं की पारिवारिक एवम् सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये लोगों में जागरूकता पैदा की ताकि महिलाओं को उनके विकास हेतु स्वत्रंता मिल सके।

स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज सुधारकों जिनमें स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सैन, स्वामी दयानन्द सरस्वती इत्यादि ने महिलाओं में चेतना की अलख जगाने का कार्य किया। समाज में फैली कुप्रथाओं जैसे कन्यावध, सतीप्रथा, देवदासी प्रथा, बालविवाह, बेजोड़ विवाह का घोर विरोध किया गया और महिला उत्पीड़न को समाप्त करने पर बल दिया गया। 19वीं सदी के उक्त समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिये जाने के काफी प्रयास किये गये जो बहुत हद तक सफल भी रहे। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिये वैचारिक एवम् व्यवहारिक धरातल पर महत्वपूर्ण कार्य किया। आन्दोलन ने जहां महिलाओं को वर्षो पुरानी बेड़ियों को तोड़ा वही शिक्षा का प्रसार करके उसमें अस्तित्व बोध का भाव जागृत किया।

स्वतंत्रता पश्चात् महिला सशक्तिकरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाये सभीतरह की गतिविधियों जैसी शिक्षा, कला और संस्कृति, चिकित्सा सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवम् राजनीति में भाग ले रही है, इन्दिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे 15 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया दुनिया की सबसे लम्बे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री थी।

महिलाओं की प्रशासन और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारिता बढने लगी भारतीय महिला आजादी के समय ही उर्जावान हो उठी भी आजादी के बाद वह राष्ट्र की प्रगति का अहम हिस्सा बनी भारतीय महिलाओं ने विकास के अवसरों का पूरा लाभ उठाया और देश–विदेश में भरपूर नाम कमाया। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओंमें जागरूकता लाने व उनकी स्थिति में परिवर्तन के प्रयास शुरू हो चुके थे। वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका है आज की महिला एक परिवार के सम्पूर्ण पालन पोषण का कार्य कर रही है। वह सम्पूर्ण परिवार का निर्माण कर उसे शिक्षित व संगठित कर परिवार समाज व राष्ट्र का निर्माण कर रही है। भारतीय समाज में जहां महिला को घर की चार दीवारी तक सीमित रखा गया था। उसी समाज के दृष्टिकोण में अब पर्याप्त परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र, खेल का मैदान, विज्ञान का क्षेत्र या वकालत का प्रथा हर जगह अग्रणी, घर की चारदीवारी से निकालकर कार्यालय, व्यवसाय, सेना एवम् प्रषासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

निष्कर्ष

निष्कर्षात्मक रूप में कहा जा सकता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 21वीं सदी में कदम रखने वाले भारतीय समाज में महिलाओं को वह दर्जा नहीं मिल पाया है जो उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिये था। वधुदहन आज भी निर्भयता पूर्वक कियाजाता है। दहेज निरोधक अधिनियम बनाने के बावजूद भारत में आये दिन दहेज के लिये नवविवाहिताओं की बली चढ़ाई जाती है। आज कल महिला एवम् मानवाधिकारों की बहस भी पूरी दुनिया में चल रही है। महिलाओं को मानवाधिकारों को हासिल करने हेतु भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज विज्ञान की तरक्की ने महिलाओं से उनका जन्म लेने का अधिकार भी छीन लिया है कन्या भ्रूण होने पर उसे कोख में ही खत्म कर दिया जाता है।

भारत में बालविवाह परम्परागत रूप से प्रचलित रहा है। यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन 2009 की रिपोर्ट के अनुसार 20–24 साल की उम्र वाली भारतीय महिलाओं में से 479 की शादी 18 साल की वैध उम्र से पहले कर दी गई थी। भारत में महिलाओं की औसत आयु की प्रत्याशा कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है वर्तमान में शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ समाज में महिलाओं के प्रति अपराध व घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है उन में महिलायें भी पीछे नहीं है बदलते सामाजिक परिवेश ने महिलाओं के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया है, जो सोच समझकर अपराध करता है। अमेरिका अपराध शोध विशेषज्ञ करेन हीमर के अनुसार परिवार की संरचना में बदलाव महिला एवम् पुरूष के बीच बढते पारिश्रमिक असन्तुलन, सम्पति विवाद आदि भी उनके अपराधी बनने का कारण है।

महिलाओं में हाई प्रोफाईल बनने की चाह ने उन्हें भ्रष्टाचार नशीले पदार्थों के व्यापार तथा देह व्यापार के धन्धे में धकेला है। कई बार पुलिस वाले ही महिलाओं

के साथ छेड़छाड़ अश्लीलता व बलात्कार के दोषी पाये जाते है किन्तु विभागीय लाज बचाने की खातिर महिलाओं की शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। आधुनिक समय में दहेज प्रथा घरेलू हिंसा के साथ–साथ डायन प्रथा भी स्त्रियों पर अत्वाचार का प्रमुख तरीका है। महिलाओं की प्रगति से आशय देश व समाज को प्रत्येक स्तर पर रहने वाली महिलाओं की प्रगति से है महिलाओं को संवैधानिक एवम् कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिये जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण हेतु हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में गैर सरकारी महिला संस्थाओं (NGWO) ने स्थानीय स्तर एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किये है भारतीय महिलाओं की बढती हुयी शक्ति व जागरूकता ने आज विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की है। यदि हम वैश्वीकरण के इस दौर में विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ना चाहते है तो यह तभी सम्भव है जब समाज के सभी वर्गों सम्प्रदायों जातियों और धर्मों की महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाये अन्यथा हम पूर्ण विकास के लक्ष्य के शायद ही प्राप्त कर पायेगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. हरिदास रामजी शैंडे 'सुदर्शन' महिला अधिकार और शिक्षा, ग्रन्थ विकास, , सी–37, राजा पार्क, जयपुर, 2008, पृष्ठ सं. 128*
2. *डॉ. हरिदास रामजी शैंडे 'सुदर्शन' यही पृष्ठ सं. 134*
3. *बीना अग्रवाल, 1995 जेण्डर प्रोपर्टी एण्ड लैण्ड राइट्स ब्रिजिंग ए क्रिटीकल गैप इन इकोनॉमिक एनालिसिस एण्ड पॉलिसी, इन आउट ऑफ द मार्जिन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिस ऑन इकोनॉमिक्स (सपा.) सुसान फेनर, नॉटवर्ग ऑट्ट एण्ड जाफरीज जनोटोस, राउटलेज, लन्दन एण्ड न्यूयार्क।*
4. *राजयाष्टि, जर्नल ऑफ सोशल सांइसेज वॉल्यूम 3 नं. 2 अप्रैल जून 2010 पृष्ठ सं. 26*
5. *गांधीजी, 'यंग इण्डिया' 10 अप्रैल 193*
6. *चेरिस 'बीसले, व्हाटइज फेमिनिज्म': सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1912*
7. *जे.एस.मिल, 'सब्जेक्शन ऑफ वीमेन' (1873) पृष्ठ सं. 105–17*
8. *(संपा.) भगवती स्वामी, सविता किशोर 'महिला सशक्तीकरण, क्यों और कैसे ? आर.बी.एस. पब्लिशर्स, 340 चौड़ा रास्ता, जयपुर 2008 पृष्ठ सं. 26*
9. *ऋग्वेद (10–15–3)*
10. *मनीष कुमार 'भारतीय नारी' कल आज और कल, ग्रेसी बुक्स, 77/1 ई. आजाद नगर, दिल्ली 110051, 2008 पृष्ठ सं. 12*
11. *http://hi,wikipedia.org/wiki%E%A%BE%EO% भारत में महिलायें विकिपीडिया*
12. *मनीष कुमार वही पृष्ठ सं. 96*